संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / अ.प्रशा. / 2020 / 510 — भोपाल, दिनांक 28 / 03 / 2020

प्रति,

1. अधिष्ठाता,
   शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला– भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सागर, खण्डवा, रतलाम, छिन्दवाडा, विदिशा, दतिया, शिवपुरी एवं शहडोल मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

विषयः–नोवल कोरोना वायरस (COVID 19) के संक्रमण से रोकथाम हेतु चिकित्सालयों में बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तः रोगी विभाग के संचालन के संबंध में।

संदर्भः–1.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का अ.प्रश.पत्र क्रमांक /Z 2801 / 01 / 2020– EMR (PF)

2. संचालनालय का पत्र क्र / अ.प्रशा. / 2020 / 495–496 दिनांक 23.03.2020
3. संचालनालय का पत्र क्र / अ.प्रशा. / 2020 / 505–506 दिनांक 27.03.2020

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रं. 02 द्वारा चिकित्सालयों में बाह्य रोगी विभाग, अन्तः रोगी विभाग एवं आकस्मिक चिकित्सा सेवायें प्रदाय करने के संबंधित निर्देश जारी किये गये है। संदर्भित पत्र क्रं. 03 द्वारा COVID–19 के रोगियों का वर्गीकरण एवं उपचार हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये है। COVID–19 के संक्रमण से उत्पन्न हुई स्थिति के नियंत्रण के संबंध में चिकित्सालयों के संचालन हेतु संदर्भित पत्र 02 को अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार दिशानिर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें:–

- समस्त जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. में ओ.पी.डी., आई.पी.डी. एवं आपातकालिन सेवायें पूर्व की तरह जारी रहेंगी।
- कोई रोगी अगर COVID–19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे COVID–19 के उपचार हेतु चिकित्सा महाविद्यालय या कलेक्टर / संभागीय कमिश्नर द्वारा चिन्हित चिकित्सालय में भेजा जाये। यह ज्ञात हो कि संभावित COVID–19 रोगी को आईसोलेशन में रखने के निर्देश पूर्व में ही दिये गये है इसका पूर्णतः पालन किया जाये जिससे की अस्पताल के अन्य विभाग संक्रमित न हो। चिकित्सालयों को दिशा निर्देशानुसार निरंतर विसंक्रमित (Disinfect) करें।
- लक्षणात्मक पुष्ट (Confirmed) नोवल कोरोना वायरस (COVID–19) रोगी को कोरोना वायरस उपचार के लिये चिन्हित चिकित्सालयों में स्थानातरण करने हेतु चिन्हित 108 एम्बूलेंस का उपयोग करें। उपयोग में लाई गई एम्बूलेंस का दिशा–निर्देशानुसार विसंक्रमित (Disinfect) करें।

<u>प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।</u>

28.3.2020

(डॉ. मोहन सिंह)
संचालक अस्पताल प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र

पृ.क्र./अ.प्रशा./2020/ 511 भोपाल, दिनांक 28/03/2020

प्रतिलिपिः—कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।

01. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश।
04. आयुक्त, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश।
05. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) मध्यप्रदेश।
06. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल।
07. संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश।
08. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश।
09. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

28.3.2020

संचालक (अ.प्रशा.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र